यह आलेख समान्य अध्यन प्रश्न पत्र-II(शासन व्यवस्था) एवं III(आंतरिक सुरक्षा) से संबंधित है ।

द हिन्दू 21/08/2019

" कश्मीर में विद्रोह और प्रतिकूल राय अपेछित है; लेकिन नीति निर्माताओ को दुनिया में इसी तरह की घटित हुई घटनाओ से सीखना चाहिए।"

जल्दबाजी में लिए गये फैसलो की एक श्रखला में, नई दिल्ली ने जम्मू, कश्मीर और लद्दाख की रुपरेखा को प्रभावी ढंग से बदलते हुए कुछ नियम निर्धारित किए है। 5 से 7 अगसत के बीच संसद ने कई प्रस्ताव पारित किये थे; जिसमे जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिती और अनुछेद-35A को खत्म करना; जम्मू और कश्मीर को भारतीय संघ के एक विशेष राज्य के रूप में समाप्त करना और दो अलग-अलग केन्द्रशाि◌सत प्रदेशों के रूप में बदलना शामिल था। हालाकि, इन प्रावधानों का संसद के दोनों सदनों ने भारी विरोध किया, लेकिन सब व्यर्थ साबित हुआ।

इस मामले के कई नाटकीय मोड़ो और जिस तेजी के साथ इसे अंजाम दिया गया, उसने देश को सत्बद कर दिया। इससे पहले, कश्मीर गोपनियता के अंतर्गत शामिल था। जम्मू और कश्मीर के मामले से पहले सरकार ने अमरनाथ यात्रा के साथ-साथ अन्य यात्राओ और इसी तरह की सभी गतिविधियों को समय से पहले बन्द क्र दिया था। सभी गैर-जम्मू-कश्मीर कर्मियों को राज्य छोड़ने के लिए कहा गया। इंटरनेट सहित बाहरी दुनिया के साथ सभी संचार को बंद कर दिया गया। लाखो की संख्या में अर्ध्सनिक बलों को कश्मीर घाटी में तेनात किया गया,जो अभी भी कायम है।

THE ANALYTICS IAS ACADEMY

एक गिरावट

जम्मू और कश्मीर की इस्थिति को कुछ विधायी शक्तियों के साथ एक रियासत से केन्द्रसासित प्रदेश में बदलना एक गिरावट को दर्शाता है। सविधान के अनुछेद-370 में जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा हटाने के लिए कोई विशेष परिस्थितियों का उल्लेख नहीं किया गया था।अनुछेद-35A इस कदम की पहली दुर्घटना थी। इस मामले पर पहले से ही निर्णय लिया जा चुका था। बस जो नहीं बताया गया वो इस तरह के कदम उठाने की आवश्यकता थी।

वर्त्तमान में लिए गये इस निर्णय के बाद से यह उम्मीद करना की जम्मू और कश्मीर में 'सब ठीक है' एक बड़ी गलती साबित होगी। राष्ट्र को एक ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है,जिसके कई और अनपेक्षित परिडाम हो सकता है। आज, सम्यावाद 20वी शताब्दी में जो कुछ भी था, उसकी बस एक हल्की झलक ही रह गयी है। मानवतावाद खतरे में है। उदारवादी विचारहर तरफ से हो रहे हमलो का सामना करने पर मजबूर है। राष्ट्रवाद प्रमुख अनिवायता बन गयी है और यह कई रंगों एव आकारों में प्रतीत होने लगा है। भारत एक पन्थ के रूप में रास्त्रवाद को अपनाने के लिए धीमा था, लेकिन अब प्रमुखता और तेजी के साथ राष्ट्रवाद की ओर झुक रहा है। अब यहा सवाल उठता है कि क्या इससे भारत की "विविधता' कमजोर होगी, जिसे अब तक हमारे देश की सबसे बड़ी खूबी के रूप में देखा जाता है।

संघीय अनिवायेता

कई लोगो के समहू में तात्कालिक चिंता, जिसे भले ही इस समय सावेजनिक रूप से व्यक्त नहीं किया जा रहा है, यह है कि क्या सविधान में निहित अन्य 'वादो' को ताकतवर 'बहुमत वाले राष्ट्रवाद' के तहत विलोपित किया जाएगा क्योकि सत्तारूढ़ दलों के पास संसद में भारी बहुमत है।अनुछेद-370 जैसी सवेधानिक गारंटी के अवगुण जो भी हो, इसे नजर अंदाज नहीं किया जा सकता क्योकि यह न केवल कश्मीर की विविदिता को समायोजित करने के लिए था, बल्कि परिग्रहण के समय मोजूदा परिस्थितियों को पूरा करने के लिए भी था।

THE ANALYTICS IAS ACADEMY

आने वाले दिनों में हमारी चिंता भले ही अनुछेद-370 और अनुछेद-35A के हटाये जाने पर केन्द्रित न हो और कश्मीर की बची-खुची स्वायतता पर प्रहार भी न हो, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे मुद्दे है, जिनसे भारत को झुझना पड़ सकता है।

वैसिवक प्रतिक्रीयाय और सबक

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत द्वारा कश्मीर के संध्रब में उठए गए कदम की आवश्यकता के कारडो को आसानी से स्वीकार क्र लिया जायेगा इसकी संभवाना बहुत कम है।

पहले से ही, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के कार्यो की आलोचनात्मक आवाजे सुनी जाने लगी है। चीन ने 12 अगस्त को भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर को अपने विचार स्पष्ट करते हुए उनके इस तर्क को ख़ारिज कर दिया की जम्मू कश्मीर का विभाजन और अनुछेद-370 का निराकरण भारत के आन्तरिक मामले में था। इसके अलावा चीन ने श्री एस. जयशंकर की इस चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया कि ' भारत-चीन संबंद का भविष्य आपसी संवेदनशीलता पर निर्भर करेगा।'

ऐसी भी संभवाना है कि दुनिया भर के अधिकांस रास्त्र एक सुर लगाए और कुछ लोगो ने तो यह भी कहा की जब इस मुद्दे पर जोर दिया जायेगा,तो भारत दुसरे और तीसरे विस्व के देशो से अलग नहीं है, जो खुद अपने नियमो को बनाते और तोड़ते है।

कई देशो द्वारा अपने-अपने समूहों का समर्थन करने के लिए हथियारों की आपूर्ति करने की घटना काफी बढ़ गयी। मिसाल के तोर पर, पाकिस्तान उन देशो में से एक था, जिसने हथियारों की आपूर्ति पर मोजुदा सयुक्त रास्त्र के प्रतिबध को नजरदाज करते हुए मुसलमानों को मिशाइल प्रदान की थी । यह आगे चलकर इतिहास के सबसे ख़राब नरसंघारो में से एक बन गया था। हमें यह सुनिस्चित करना चाहिए की इस तरह का कुछ भी हमारे देश में न हो।

ANALYTICS TEAM

जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन **विधेयक,2019**

चर्चा में क्यों?

THE ANALYTICS IAS ACADEMY

>जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019 को 5 अगस्त, 2019 को गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा राज्यसभा में पेश किया गया था।

>इस बिल के तहत जहा राज्य से अनुछेद-370 की समाप्ति होगी, वाही जम्मू कश्मीर को दो केंद्रशाशित प्रदेशो में विखंडित किया जायेगा।

>केद्रशाशित प्रदेश लद्दाख का प्रशाशन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल के माध्यम से किया जायेगा।

>जम्मू और कश्मीर की विधान सभा: विधेयक में केन्द्रशाशित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के लिए एक विधान सभा का **प्रावधान है**। विधानसभा में कुल सीटो की संख्या 107 होगी। इनमे से 24 सीट जम्मू और कश्मीर के पाकिस्तान में है।

>इसके अलावा, उपराज्यपाल महिलाओ को प्रतिनिदित्व देने के लिए विधानसभा में दो सदसयो को नामित कर सकते है।

>मंत्रीपरिषद: केन्द्रशासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के दस प्रतिशत से अधिक सदस्यों की एक परिषद् नहीं होगी।

>उच्च न्यायालय: जम्मू और कश्मीर का उच्च न्यायालय केंद्र शासित प्रदेश लाद्द्ख तथा जम्मू कश्मीर के लिए एक होगा।

>इसके अलावा, केन्द्रशसित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की सरकार को कानूनी सलाह प्रदान करने के लिए एक अधिवक्ता जनरल होगा।

>विधान परिषद्: जम्मू और कश्मीर राज्य की विधान परिषद् को समाप्त कर दिया जाएगा। विग्टन होने पर, परिषद् में लंबित सभी विधयको में कमी आएगी।

> कानूनों की सीमा: अनुसूची में 106 केंद्रीय कानूनों को सुचिबध किया गया है, जो केद्र सरकार द्वारा अधिसूचित तारीख को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केन्द्रशाशित प्रदेशो के लिए लागू किये जायंगे।

THE ANALYTICS IAS ACADEMY

> इसके अलावा, 166 राज्य कानून लागू रहेंगे और सात कानून संसोधन के साथ लागू होंगे। इन संसोधन में भूमि के पट्टो पर उन लोगो के लिए प्रतिबधो को ख़त्म करना शामिल है,जो जम्मू और कश्मीर के स्थयी निवासी नहीं है ।

संभावित प्रश्न(प्रारंभिक परिछा)

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

   1. अनुछेद-370 हटने से भारतीय सविधान के अनुछेद-1 के तहत जम्मू-कश्मीर भारत का एक पुर्ड राज्य बन गया है।
   2. इस अनुछेद के हटने से अब भारत में 28 राज्य और 9 केन्द्रशाशित प्रदेश हो गये है।

   उपयुक्त में से कोन सा/ कथन असत्य है?

   (क) केवल 1 (ख) केवल 2

   (ग) 1 और 2 दोनों (घ) न तो 1 न ही 2

संभावित प्रश्न(मुख्य परिछा)

1 क्या भारत द्वारा अनुछेद-370 और 35A को ख़तम करना भारत की बड़ती रास्त्रवादी भावना को इंगित करता है? भारत के एस फैसले से भविष्य में देश की सुरक्षा को लेकर क्या-क्या चुनोतिया उत्पन हो सकती है ? चर्चा कीजिये । (250 शब्द)

THE ANALYTICS IAS ACADEMY